न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–48/2012

CIS NO. TS 529/2018

हीरालाल साह..वादी

बनाम

प्रमोद कुमार पाण्डेय एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
09.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.11.2022 आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 23.11.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादी द्वार पूर्व में वाद से संबंधित कागजात दाखिल किया है। वादी को वाद से संबंधित कागजातों की जानकारी होने पर वादी ने उसकी सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त किया है जिसे आज दाखिल किया जा रहा है। वादी की ओर से दाखिल कागजात वाद के लिए महत्वपूर्ण एवं न्याय निर्णय के लिए आवश्यक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि कागजातों को ग्रहण करते हुए अभिलेख पर रखने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल नहीं करने के कारण दिनांक 22.06.2024 को प्रत्युत्तर देने से वंचित किया गया। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0ः–48/2012
CIS NO. TS 529/2018

हीरालाल साह..वादी

बनाम

प्रमोद कुमार पाण्डेय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 09.01.2025	को रोका जा सके। वादी द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 23.11.2022 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 17.01.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	